



पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री अरूण शंकर प्रसाद,
संवि०स०
श्री रामदेव महतो,
संवि०स०
श्री मोतीलाल प्रसाद,
संवि०स०
श्री चितरंजन कुमार,
संवि०स०
श्री गोपालजी ठाकुर,
संवि०स०
श्री विभाषचन्द्र चौधरी,
संवि०स०
श्री विक्रम कुँवर,
संवि०स०

"सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बिहार में हाई सिक्वोरिटी नम्बर प्लेट की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। जिसके अनुसार राज्य के सभी 36 लाख गाड़ियों में दो वर्ष के अंदर हाई सिक्वोरिटी नम्बर प्लेट लगाया जाना था। जनवरी 2010 के बाद सभी गाड़ियों में इसे अनिवार्य किया गया परंतु इसे लगाने वाली कम्पनी की गड़बड़ी एवं जाँच की सख्ती नहीं होने के कारण पर्ची कटाने के बाद भी उक्त नम्बर प्लेट नहीं लगाया जा रहा है। फलतः असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। अभी तक उक्त योजना मात्र दो जिलों में सिमट कर रह गयी है। नौ महीना पूर्व दूसरी कम्पनी को इस काम का जिम्मा दिया गया। उसने नौ महीना में 12,271 रसीद काटने के बाद मात्र 7845 गाड़ियों पर ही प्लेट लगाने का काम किया है। अभी तक राज्य के 36 लाख गाड़ियों में से पटना जिला के 30 हजार एवं मुजफ्फरपुर जिला के 21 हजार कुल 51 हजार गाड़ियों पर ही हाई सिक्वोरिटी नम्बर प्लेट लगाए गये हैं। इस प्रकार सरकार के अपराध नियंत्रण में मदद एवं गाड़ियों की सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना विफल साबित हो रही है।

अतः उक्त महत्वाकांक्षी योजना को शत प्रतिशत लागू कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

परिवहन

1	2	3	4
2.	श्री संजय सिंह (टाइगर), संवि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, संवि०स० श्री जवाहर प्रसाद, संवि०स० श्री कन्हैया कुमार, संवि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, संवि०स० श्री विनोद नारायण झा, संवि०स० श्रीमती मुखटा पांडेय, संवि०स०	“पटना, आरा, बक्सर, बलिया, उ०प्र० सीमा तक 140 कि०मी० फोर लेन पथ वर्ष 2011 में स्वीकृत हुआ जिसमें कोईलवर सोन नदी पर फोर लेन पुल तथा बक्सर गंगा नदी पर टू लेन पुल का निर्माण भी शामिल है। उक्त योजना में 1120 करोड़ों की राशि की स्वीकृति मिली तथा यह कार्य 2015 तक पूर्ण होना था। NHAI ने टेंडर निकाला। गायमन कम्पनी ने काम लिया परन्तु अब कम्पनी अपनी स्वीकार शर्तों से पीछे हट गयी है। योजना अवधि भी पूरी हो रही है। आवश्यक जमीन को उपलब्धता भी अधर में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार NHAI ने भी कार्य करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण स्थिति बर से बदतर हो गयी है और सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी कठिन हो गया है। अतः उक्त योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”	पथ निर्माण

हरeram मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-घ्या०प्र०-10/14-

956

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 30 जून, 2014 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नियोज
30/6/14
(नियोज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-घ्या०प्र०-10/14-

956

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 30 जून, 2014 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

नियोज
30/6/14
(नियोज अहमद)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।